

# हिमाचल प्रदेश बारहवीं विधान सभा

## कार्यसूची

### चौदहवां सत्र

बुधवार, 29 मार्च, 2017/8 चैत्र, 1939(शक्)

11.00 बजे (पूर्वाह्न)

#### 1. प्रश्नोत्तर:

##### (1) तारांकित :

दिन के लिए } पृथक सूची में मुद्रित प्रश्न पूछे जाएंगे तथा उनके उत्तर दिए जाएंगे ।

##### (2) अतारांकित :

दिन के लिए } पृथक सूची में मुद्रित प्रश्नों के उत्तर सभा पटल पर रखे जाएंगे ।

#### 2. कागज़ात सभा पटल पर रखे जाएंगे :

श्री वीरभद्र सिंह, मुख्य मन्त्री, निम्नलिखित दस्तावेज़ों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखेंगे:-

- (i) कम्पनी अधिनियम, 2013 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम का प्रथम वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे वर्ष 2015-16;
- (ii) प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, 1985 (1985 का अधिनियम संख्यांक 13) की धारा 37 के खण्ड (2) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक अधिकरण कर्मचारिवृन्द (सेवा की शर्तें) प्रथम संशोधन नियम, 2016 जोकि अधिसूचना संख्या:पर(एपी-बी)ए(1)-1/2013 दिनांक 18.05.2016 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 24.05.2016 को प्रकाशित;

- (iii) प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, 1985 (1985 का अधिनियम संख्यांक 13) की धारा 37 के खण्ड (2) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक अधिकरण कर्मचारिवृन्द (सेवा की शर्तें) प्रथम संशोधन नियम, 2015 जोकि अधिसूचना संख्या:पर (एपी-बी)ए(1)-1/2013 दिनांक 16.04.2015 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 23.04.2015 को प्रकाशित; और
- (iv) प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, 1985 (1985 का अधिनियम संख्यांक 13) की धारा 37 के खण्ड (2) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक अधिकरण (वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियां) नियम, 2015 जोकि अधिसूचना संख्या:पर(एपी-बी)ए(1)-1/2013 दिनांक 17.03.2015 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 18.03.2015 को प्रकाशित ।
- (2) श्री सुजान सिंह पठानिया, बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा मन्त्री, निम्नलिखित दस्तावेजों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखेंगे:-
- (i) भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश कृषि विभाग, विधि अधिकारी, वर्ग-II (राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2017 जोकि अधिसूचना संख्या:एग्र.ए.-बी(2)-2/2015 दिनांक 02.03.2017 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 21.03.2017 को प्रकाशित;
- (ii) भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश कृषि विभाग, कृषि प्रसार अधिकारी, वर्ग-III (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2017 जोकि अधिसूचना संख्या:एग्र.ए.-बी(2)-2/2014 दिनांक 02.03.2017 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 20.03.2017 को प्रकाशित;
- (iii) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(4) के अन्तर्गत ब्यास वैली पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2015-16;

- (iv) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(4) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश विद्युत संचार निगम लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2014-15 (विलम्ब के कारणों सहित);
- (v) विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 104(4) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग के वार्षिक लेखे तथा लेखा परीक्षा प्रतिवेदन, वर्ष 2015-16;
- (vi) विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 105(2) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग का वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन, वर्ष 2015-16;
- (vii) हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत विनियामक आयोग (सप्लाई कोड, 2009, विद्युत सप्लाई कोड समीक्षा पेनल को पुनर्गठित करने बारे) जोकि अधिसूचना संख्या: एचपीईआरसी/438 (सप्लाई कोड) दिनांक 22.03.2016 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 29.03.2016 को प्रकाशित;
- (viii) हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत विनियामक आयोग (अक्षय ऊर्जा क्रय दायित्व एवं इसकी अनुपालना)(द्वितीय संशोधन) विनियम, 2016 जोकि अधिसूचना संख्या: एचपीईआरसी/438 दिनांक 30.03.2016 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 31.03.2016 को प्रकाशित;
- (ix) हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत विनियामक आयोग (अक्षय ऊर्जा स्रोतों से उत्पादन का संवर्धन और टैरिफ शुल्क के निर्धारण के लिए नियम एवं शर्तें) (द्वितीय संशोधन) विनियम, 2016 जोकि अधिसूचना संख्या: एचपीईआरसी/428 दिनांक 11.04.2016 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 13.04.2016 को प्रकाशित;
- (x) हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत विनियामक आयोग (क्रॉस रियायती अधिभार, अतिरिक्त और क्रॉस रियायती अधिभार को चरणबद्ध करने बारे) (प्रथम् संशोधन) विनियम, 2016 जोकि अधिसूचना संख्या: एचपीईआरसी/391 दिनांक 10.11.2016 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 16.11.2016 को प्रकाशित; और

(xi) हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत विनियामक आयोग (बिजली की आपूर्ति के लिए व्यय की वसूली) (चतुर्थ संशोधन) विनियम, 2017 जोकि अधिसूचना संख्या:एचपीईआरसी/419 दिनांक 23.01.2017 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 06.02.2017 को प्रकाशित ।

((vii) से (xi) तक विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 182 के परन्तुक के अन्तर्गत निर्मित नियम हैं)

### 3. सदन की समितियों के प्रतिवेदन :

- (1) श्री रविन्द्र सिंह, सभापति, लोक लेखा समिति, (वर्ष 2016-17), समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे :-
  - (i) समिति का 177वां मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2012-13(राज्य के वित्त/राजस्व प्राप्तियाँ) पर आधारित तथा सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग से सम्बन्धित है;
  - (ii) समिति का 178वां मूल प्रतिवेदन(बारहवीं विधान सभा) जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2012-13 (राज्य के वित्त/सिविल) पर आधारित तथा पंचायती राज विभाग से सम्बन्धित है; और
  - (iii) समिति का 179वां मूल प्रतिवेदन(बारहवीं विधान सभा) जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2014-15 (राज्य के वित्त) पर आधारित तथा सचिवालय प्रशासन विभाग से सम्बन्धित है ।
- (2) श्री कुलदीप कुमार, सभापति, प्राक्कलन समिति, (वर्ष 2016-17), समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे :-
  - (i) समिति का 25वां मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) जोकि प्रदेश में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा चलाई जा रही विभिन्न विकासात्मक योजनाओं/कार्यों के आय-व्ययक प्राक्कलनों की संवीक्षा पर आधारित है तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग से सम्बन्धित है; और

- (ii) समिति का 26वां कार्रवाई प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 20वें मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2016-17) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा उद्यान विभाग से सम्बन्धित है ।
- (3) श्रीमती आशा कुमारी, सभापति, लोक उपक्रम समिति, (वर्ष 2016-17), समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करेंगी तथा सदन के पटल पर रखेंगी :-
- (i) समिति का 71वां कार्रवाई प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 50वें मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2015-16) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम सीमित से सम्बन्धित है; और
- (ii) समिति का 73वां मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन(वाणिज्यिक) (वर्ष 2009-10) के ऑडिट पैरों की संवीक्षा पर आधारित तथा हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् से सम्बन्धित है ।

#### 4. वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए बजट अनुमान:-

वर्ष 2017-18 के लिए बजट अनुमानों की अनुदान मांगों पर चर्चा एवं मतदान ।

(अनुदान मांगें पृथक सूची में मुद्रित हैं)

(पृथक सूचियों में कटौती प्रस्ताव भी प्रस्तुत किए जाएंगे)

शिमला-171004  
दिनांक: 28 मार्च, 2017

सुन्दर सिंह वर्मा,  
सचिव ।

\*\*\*\*\*

(अनुपूरक कार्यसूची, यदि कोई हो, की भी जांच कर लें)

# हिमाचल प्रदेश बारहवीं विधान सभा

(स्वीकृत कटौती प्रस्ताव)

बजट अनुमान 2017-18 की अनुदान मांगें

कटौती प्रस्ताव की सूचना

## मांग संख्या: 4 - सामान्य प्रशासन

सदस्य का नाम	कटौती प्रस्ताव	मांग संख्या:
	नीति का अननुमोदन	4
	कि शीर्ष के अन्तर्गत मांग " सामान्य प्रशासन" की राशि घटाकर एक रूपया कर दी जाए।	

श्री महेन्द्र सिंह ।

सरकार की नये संस्थान खोलने की नीति का  
अननुमोदन ।

## मितव्ययता कटौती

कि शीर्ष के अन्तर्गत मांग

" सामान्य प्रशासन"

की राशि में एक करोड़ रूपये की कमी की जाए ।

श्री महेन्द्र सिंह,  
श्री सुरेश भारद्वाज,  
श्री रविन्द्र सिंह ।

प्रशासन में मितव्ययता लाने हेतु फिजूल खर्चों पर  
रोक लगाई जाये ।

शिमला-171004.  
दिनांक 22.3.2017.

सचिव,  
विधान सभा ।

\*\*\*\*\*

# हिमाचल प्रदेश बारहवीं विधान सभा

(स्वीकृत कटौती प्रस्ताव)

बजट अनुमान 2017-18 की अनुदान मांगें

कटौती प्रस्ताव की सूचना

## मांग संख्या: 5 - भू-राजस्व व जिला प्रशासन

सदस्य का नाम	कटौती प्रस्ताव	मांग संख्या:
	नीति का अननुमोदन	5
	कि शीर्ष के अन्तर्गत मांग "भू-राजस्व व जिला प्रशासन" की राशि घटाकर एक रूपया कर दी जाए।	

श्री रविन्द्र सिंह ।

1. जिला प्रशासन को सुदृढ़ करने की नीति का अननुमोदन ।
2. सरकार द्वारा भूमिहीनों को भूमि आबंटन करने की नीति का अननुमोदन ।
3. सरकार की भू-व्यवस्था की नीति का अननुमोदन ।

शिमला-171004.  
दिनांक 22.3.2017

सचिव,  
विधान सभा ।



# हिमाचल प्रदेश बारहवीं विधान सभा

(स्वीकृत कटौती प्रस्ताव)

बजट अनुमान 2017-18 की अनुदान मांगों  
कटौती प्रस्ताव की सूचना

## मांग संख्या: 11- कृषि

सदस्य का नाम	कटौती प्रस्ताव	मांग संख्या
--------------	----------------	-------------

	<b>1. नीति का अननुमोदन</b>	<b>11</b>
--	----------------------------	-----------

कि शीर्ष के अन्तर्गत मांग  
“कृषि”  
की राशि घटाकर एक रूपया कर दी जाए।

श्री विजय अग्निहोत्री,  
श्री बिक्रम सिंह,  
श्री रिखी राम कौंडल,  
डॉ0 राजीव बिन्दल ।

- सरकार की नई सब्जी मण्डियों के निर्माण की नीति का अननुमोदन।
- सरकार की कृषि उत्पादन बढ़ाने की नीति का अननुमोदन।
- सरकार की सूक्ष्म सिंचाई योजनाओं की नीति का अननुमोदन।

शिमला-171004.  
दिनांक 22.3.2017

सचिव,  
विधान सभा।

\*\*\*\*\*

## हिमाचल प्रदेश बारहवीं विधान सभा

(कटौती प्रस्ताव)

बजट अनुमान 2017-18 की अनुदान मांगें

कटौती प्रस्ताव की सूचना

मांग संख्या: 12 - उद्यान

सदस्य का नाम	कटौती प्रस्ताव	मांग संख्या:
--------------	----------------	--------------

नीति का अननुमोदन

12

कि शीर्ष के अन्तर्गत मांग

“उद्यान”

की राशि घटाकर एक रूपया कर दी जाए।

श्री सुरेश भारद्वाज,  
श्री रविन्द्र सिंह,  
श्री रिखी राम कौंडल,  
श्री जय राम ठाकुर,  
श्री रणधीर शर्मा ।

1. सरकार की अच्छे किस्म के रूट स्टॉक का आयात करने तथा पौध संरक्षण एवं औज़ार क्रय करने की नीति का अननुमोदन ।
2. सरकार की फल विधायन केन्द्र हेतु कच्चे माल की खरीद की नीति का अननुमोदन ।
3. सरकार की डा0 वाई0एस0 परमार औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय को सुदृढीकरण करने की नीति का अननुमोदन ।

शिमला-171004.  
दिनांक 22.03.2017

सचिव,  
विधान सभा ।

\*\*\*\*\*

# हिमाचल प्रदेश बारहवीं विधान सभा

(कटौती प्रस्ताव)

बजट अनुमान 2017-18 की अनुदान मांगें

कटौती प्रस्ताव की सूचना

मांग संख्या: 13 - सिंचाई, जलापूर्ति एवं सफाई

सदस्य का नाम	कटौती प्रस्ताव	मांग संख्या:
--------------	----------------	--------------

नीति का अननुमोदन

13

कि शीर्ष के अन्तर्गत मांग

‘सिंचाई, जलापूर्ति एवं सफाई’

की राशि घटाकर एक रूपया कर दी जाए।

श्री महेन्द्र सिंह,  
श्री सुरेश भारद्वाज,  
श्री रविन्द्र सिंह,  
श्री विजय अग्निहोत्री,  
श्री इन्द्र सिंह,  
श्री बिक्रम सिंह,  
डॉ0 राजीव बिन्दल,  
श्री रिखी राम कौडल,  
श्री जय राम ठाकुर,  
श्री बलदेव सिंह तोमर,  
श्री गोविन्द सिंह ठाकुर,  
श्री वीरेन्द्र कंवर,  
श्री कृष्ण लाल ठाकुर,  
श्री गोविन्द राम शर्मा,  
श्री रणधीर शर्मा ।

1. सरकार की वर्तमान सिंचाई, जलापूर्ति एवं सफाई की नीति का अननुमोदन।
2. सरकार की वर्तमान शहरी जलापूर्ति कार्यक्रम की नीति का अननुमोदन।
3. सरकार की कूहलों, नलकूपों एवं हैंडपम्पों के रख-रखाव की नीति का अननुमोदन।
4. सरकार की बाढ़ नियन्त्रण, जल निकासी की नीति का अननुमोदन।

## 2. मितव्ययता कटौती

कि शीर्ष के अन्तर्गत मांग

‘सिंचाई, जलापूर्ति एवं सफाई’

की राशि में एक करोड़ रूपये की कमी की जाए।

श्री महेन्द्र सिंह,  
श्री सुरेश भारद्वाज।

1. सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग में मितव्ययता लाने हेतु अत्याधिक फीटिंग सामग्री की खरीद पर रोक लगाई जाये।
2. सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग में मितव्ययता लाने हेतु उठाऊ पेयजल योजनाओं को Out Source पर देने बारे रोक लगाई जाये।

शिमला-171004.  
दिनांक 22.03.2017

सचिव,  
विधान सभा।

\*\*\*\*\*

# हिमाचल प्रदेश बारहवीं विधान सभा

(स्वीकृत कटौती प्रस्ताव)

बजट अनुमान 2017-18 की अनुदान मांगों  
कटौती प्रस्ताव की सूचना

## मांग संख्या: 16- वन और वन्य जीवन

सदस्य का नाम	कटौती प्रस्ताव	मांग संख्या:
	नीति का अननुमोदन कि शीर्ष के अन्तर्गत मांग “वन और वन्य जीवन” की राशि घटाकर एक रूपया कर दी जाए।	16

श्री महेन्द्र सिंह,  
श्री सुरेश भारद्वाज,  
श्री रविन्द्र सिंह,  
श्री महेश्वर सिंह,  
श्री विक्रम सिंह,  
श्री विजय अग्निहोत्री,  
डॉ0 राजीव बिन्दल,  
श्री गोविन्द सिंह ठाकुर,  
श्री वीरेन्द्र कंवर,  
श्री रणधीर शर्मा ।

- सरकार की वर्तमान वन नीति का अननुमोदन।
- सरकार की जंगली जानवरों से निज़ात दिलवाने की नीति का अननुमोदन।
- सरकार की पौध रोपण नीति का अननुमोदन।
- सरकार की विश्व बैंक द्वारा सहायक मीड हिमालयन जल प्रवाह विकास परियोजना में धनराशि को व्यय करने की नीति का अननुमोदन।
- सरकार की भू-जल संरक्षण नीति का अननुमोदन।

शिमला-171004.  
दिनांक 22.03.2017

सचिव,  
विधान सभा।

# हिमाचल प्रदेश बारहवीं विधान सभा

(स्वीकृत कटौती प्रस्ताव)

बजट अनुमान 2017-18 की अनुदान मांगों  
कटौती प्रस्ताव की सूचना

## मांग संख्या: 18- उद्योग, खनिज, आपूर्ति एवं सूचना प्रौद्योगिकी

सदस्य का नाम	कटौती प्रस्ताव	मांग संख्या:
	<b>नीति का अननुमोदन</b>	<b>18</b>

कि शीर्ष के अन्तर्गत मांग  
“उद्योग, खनिज, आपूर्ति एवं सूचना प्रौद्योगिकी”  
की राशि घटाकर एक रूपया कर दी जाए।

श्री महेन्द्र सिंह,  
श्री सुरेश भारद्वाज,  
श्री रविन्द्र सिंह,  
डॉ0 राजीव बिन्दल,  
श्री कृष्ण लाल ठाकुर,  
श्री गोविन्द राम शर्मा ।

1. सरकार की वर्तमान उद्योग नीति का अननुमोदन।
2. सरकार की औद्योगिक क्षेत्रों के विकास पर व्यय की नीति का अननुमोदन।
3. सरकार की लघु उद्योग स्थापित करने की नीति का अननुमोदन।
4. सरकार की हथकरघा और हस्तशिल्प क्षेत्र की पुनः संरचना की नीति का अननुमोदन।
5. सरकार की श्रमिक रोजगार नीति का अननुमोदन।

शिमला-171004.  
दिनांक 22.03.2017

सचिव,  
विधान सभा।

# हिमाचल प्रदेश बारहवीं विधान सभा

(स्वीकृत कटौती प्रस्ताव)

बजट अनुमान 2017-18 की अनुदान मांगों  
कटौती प्रस्ताव की सूचना

## मांग संख्या: 20- ग्रामीण विकास

सदस्य का नाम	कटौती प्रस्ताव	मांग संख्या:
	<p><u>नीति का अननुमोदन</u> कि शीर्ष के अन्तर्गत मांग “ग्रामीण विकास” की राशि घटाकर एक रूपया कर दी जाए।</p>	20

श्री सुरेश भारद्वाज,  
श्री महेन्द्र सिंह ।

- सरकार की वर्तमान ग्रामीण आवास आबंटन नीति का अननुमोदन ।
- सरकार की ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क मरम्मत की नीति का अननुमोदन ।

शिमला-171004.  
दिनांक 22.03.2017

सचिव,  
विधान सभा ।

\*\*\*\*\*

# हिमाचल प्रदेश बारहवीं विधान सभा

(स्वीकृत कटौती प्रस्ताव)

बजट अनुमान 2017-18 की अनुदान मांगों  
कटौती प्रस्ताव की सूचना

**मांग संख्या: 22 - खाद्य और नागरिक आपूर्ति**

सदस्य का नाम	कटौती प्रस्ताव	मांग संख्या:
	<b>1. नीति का अननुमोदन</b>	<b>22</b>
	कि शीर्ष के अन्तर्गत मांग “खाद्य और नागरिक आपूर्ति” की राशि घटाकर एक रूपया कर दी जाए।	

श्री जय राम ठाकुर,  
श्री रणधीर शर्मा,  
डॉ0 राजीव बिन्दल ।

1. सरकार की खाद्य सामग्री की खरीद एवं वितरण की नीति का अननुमोदन।
2. सरकार की खाद्य भण्डारन तथा भाण्डागार की नीति का अननुमोदन।

शिमला-171004.  
दिनांक 22.3.2017

सचिव,  
विधान सभा।

\*\*\*\*\*



# हिमाचल प्रदेश बारहवीं विधान सभा

(स्वीकृत कटौती प्रस्ताव)

बजट अनुमान 2017-18 की अनुदान मांगें  
कटौती प्रस्ताव की सूचना

मांग संख्या: 25 - सड़क और जल परिवहन

सदस्य का नाम	कटौती प्रस्ताव	मांग संख्या:
	<u>नीति का अननुमोदन</u>	25

कि शीर्ष के अन्तर्गत मांग  
“सड़क और जल परिवहन”  
की राशि घटाकर एक रूपया कर दी जाए।

श्री महेन्द्र सिंह,  
श्री सुरेश भारद्वाज,  
श्री रविन्द्र सिंह,  
श्री गोविन्द सिंह ठाकुर,  
श्री वीरेन्द्र कंवर,  
श्री रणधीर शर्मा ।

1. सरकार की वर्तमान परिवहन नीति का अननुमोदन।
2. सरकार की बस अड्डों के निर्माण की नीति का अननुमोदन।

शिमला-171004.  
दिनांक 22.03.2017

सचिव,  
विधान सभा।

# हिमाचल प्रदेश बारहवीं विधान सभा

(स्वीकृत कटौती प्रस्ताव)

बजट अनुमान 2017-18 की अनुदान मांगों  
कटौती प्रस्ताव की सूचना

मांग संख्या: 26 - पर्यटन और नागर विमानन

सदस्य का नाम	कटौती प्रस्ताव	मांग संख्या:
	<u>नीति का अननुमोदन</u>	26
	कि शीर्ष के अन्तर्गत मांग “पर्यटन और नागर विमानन” की राशि घटाकर एक रूपया कर दी जाए।	

श्री महेन्द्र सिंह,  
श्री सुरेश भारद्वाज,  
श्री गोविन्द सिंह ठाकुर,  
श्री वीरेन्द्र कंवर,  
डॉ० राजीव बिन्दल ।

1. सरकार की वर्तमान पर्यटन नीति का अननुमोदन ।
2. सरकार की हवाई पट्टी/ हेलीपैड के निर्माण की नीति का अननुमोदन ।

शिमला-171004.  
दिनांक 22.03.2017

सचिव,  
विधान सभा।

# हिमाचल प्रदेश बारहवीं विधान सभा

(स्वीकृत कटौती प्रस्ताव)

बजट अनुमान 2017-18 की अनुदान मांगों  
कटौती प्रस्ताव की सूचना

मांग संख्या: 28 - शहरी विकास, नगर एवं ग्राम योजना तथा आवास

सदस्य का नाम	कटौती प्रस्ताव	मांग संख्या:
	<u>नीति का अननुमोदन</u>	28

कि शीर्ष के अन्तर्गत मांग  
“शहरी विकास, नगर एवं ग्राम योजना तथा आवास”  
की राशि घटाकर एक रूपया कर दी जाए।

श्री महेन्द्र सिंह,  
श्री सुरेश भारद्वाज,  
श्री रविन्द्र सिंह।

1. सरकार की वर्तमान नगर एवं ग्राम योजना की नीति का अननुमोदन।
2. सरकार की शहरों में वर्तमान सफाई, पार्किंग, मल निकासी नीति का अननुमोदन।
3. सरकार की स्मार्ट सिटी बनाने की नीति का अननुमोदन।

शिमला-171004.  
दिनांक 22.3.2017

सचिव,  
विधान सभा।

# हिमाचल प्रदेश बारहवीं विधान सभा

(स्वीकृत कटौती प्रस्ताव)

बजट अनुमान 2017-18 की अनुदान मांगें  
कटौती प्रस्ताव की सूचना

## मांग संख्या: 31 - जनजातीय विकास

सदस्य का नाम	कटौती प्रस्ताव	मांग संख्या:
	<u>नीति का अननुमोदन</u>	31
	कि शीर्ष के अन्तर्गत मांग “जनजातीय विकास” की राशि घटाकर एक रूपया कर दी जाए।	

डॉ० राजीव बिन्दल ।

1. सरकार की जनजातीय क्षेत्रों में वर्तमान विकास योजना की नीति का अननुमोदन ।
2. सरकार की जनजातीय क्षेत्रों के लिए हेलीकॉप्टर सेवा की नीति का अननुमोदन ।

शिमला-171004.  
दिनांक 22.03.2017

सचिव,  
विधान सभा ।

# हिमाचल प्रदेश बारहवीं विधान सभा

(स्वीकृत कटौती प्रस्ताव)

बजट अनुमान 2017-18 की अनुदान मांगें  
कटौती प्रस्ताव की सूचना

## मांग संख्या: 32 - अनुसूचित जाति उप-योजना

सदस्य का नाम	कटौती प्रस्ताव	मांग संख्या:
	<u>नीति का अननुमोदन</u>	32
	कि शीर्ष के अन्तर्गत मांग “अनुसूचित जाति उप-योजना” की राशि घटाकर एक रूपया कर दी जाए।	

श्री महेन्द्र सिंह,  
श्री सुरेश भारद्वाज,  
श्री रविन्द्र सिंह ।

1. सरकार की वर्तमान अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना की नीति का अननुमोदन।
2. सरकार की अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना में सामाजिक सुरक्षा पेंशन की नीति का अननुमोदन।

शिमला-171004.  
दिनांक 22.03.2017

सचिव,  
विधान सभा।